

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 53 सन 2022

अनवान :-

1. मांगेराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
2. सचिन पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
2. महेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
3. सुलतान पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
4. अंकित पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 04/2/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्रय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 165/147 की कुल 5.2370हैक तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 79/72 की कुल 6.3500हैक व खाता संख्या 80/73 की कुल 8.9050हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,3 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बीरबलराम पुत्र सांवताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बीरबलराम पुत्र सांवताराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बीरबलराम पुत्र सांवताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1,3 जो वादीगण का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1,3 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बीरबलराम पुत्र सांवताराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 165/147 की कुल 5.2370हैक तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 79/72 की कुल 6.3500हैक व खाता संख्या 80/73

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की कुल 8.9050 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,3 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बीरबलराम पुत्र सांवताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बीरबलराम पुत्र सांवताराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बीरबलराम पुत्र सांवताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 165/147 की कुल 5.2370 हैक तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 79/72 की कुल 6.3500 हैक व खाता संख्या 80/73 की कुल 8.9050 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,3 के नाम से दर्ज है।

पर्चा खतौनी उपनिवेशन विभाग एवं नामान्तरण के अनुसार वाद भूमि बीरबलराम पुत्र सांवताराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बीरबलराम पुत्र सांवताराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा बीरबलराम पुत्र सांवताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है प्रतिवादी संख्या 1,3 ने वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्था होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 165/147 की कुल 5.2370 हैक तथा रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 79/72 की कुल 6.3500 हैक व खाता संख्या 80/73 की कुल 8.9050 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1,3 के नाम से दर्ज है उक्त तीनों खतों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 तीनों बहिब एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 के साथ वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व चक 11 जेएसएन में बीरबल का नाम बीरबलराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमोल जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 67/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (इन्दौरगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवाणी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मांगेराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
2. सचिन पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
2. महेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
3. सुलतान पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
4. अंकित पुत्र सुलतानसिंह जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 53 सन 2022 निर्णय दिनांक- 07/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 165/147 की कुल 5.2370हैक तथा रोही मोजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 79/72 की कुल 6.3500हैक व खाता संख्या 80/73 की कुल 8.9050हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 3 के नाम से दर्ज है उक्त तीनों खतों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 तीनों बहिब एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 के साथ वादीसंख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व चक 11 जेएसएन में बीरबल का नाम बीरबलराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)